

MANGO NAC, MANGO**HOLDING TAX RECEIPT**

Receipt No. TRAN305445011117114152

Date : 01-11-2017

Department / Section : Revenue Section
 Account Description : Holding Tax & Others
 Application Type : New Assessment

Ward No : 9

SAF No. : SAF407974011117114027

Name RAJARAM MALLYA
 C/O:-

Property Type : Vacant Land

Address : R NO 17 HALDAHAR MAHATO COLONY MANGO , , -
 MOB : 9234719584

A Sum of Rs. 552.00 (in words) Five Hundred and Fifty-Two Only

towards Holding Tax & Others vide Cash

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Holding Tax Details

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	2016-2017 / 1 2016-2017 / 4	276.00
Holding Tax Current	2017-2018 / 1 2017-2018 / 4	276.00
	Total	552.00
	Additional Tax	0.00
	Penalty Amount	0.00
	Rebate on current Demand	0.00
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	552.00
	Advance Amount	0.00



Ranvij Kumar

Signature of Tax Collector

Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right

For Details Please Visit : udhd.jharkhand.gov.in
 or Call us at 18001212241 or 0651-7145511

In Collaboration With
 Sparrow Softech Pvt. Ltd.
 H-117, Harmu Housing Colony, Sajanand
 Chowk, Ranchi

MANGO NAC

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।


Memo No. : 277317090118124335
Date : 09-01-2018
प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री : RAJARAM MALLYA S/O LATE LAXMAN VAMAN MALLYA,
मोहल्ला : R NO 17 HALDAHAR MAHATO COLONY MANGO MANGO
EAST SINGHBHUM , 831020
9234719584

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0090000426000M0 वार्ड सं० 9 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	
2.	जल कर	69.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		69.00




To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, MANGO NAC Website, www.harkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के अलावा में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. MANGO NAC द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होलिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.